रोड चौड़ा हुआ पर ट्रैफिक समस्या जस की तस

शीतलामाता बाजार ● ठेले वाले और फुटकर विक्रेताओं के कारण सड़क पर फैल रही अव्यवस्था

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। नगर निगम ने शीतलामाता बाजार सड़क की चौड़ाई 40 फीट से बढ़ाकर 60 फीट कर दी, लेकिन यातायात की समस्या जस की तस है। इसकी वजह है कि यहां रोज 50 से 60 ठेले लगते हैं। निगम ने राजवाड़ा और इमामबाड़ा क्षेत्र से फुटकर विक्रेता और ठेले वालों को हटाया था। वहां से हटाए गए कई ठेले वाले अब शीतलामाता बाजार की सड़क पर सामान बेचने आ जाते हैं।

नगर निगम के अफसर इस सड़क से ठेलों को हटाने के नाम पर मुनादी कर खानापूर्ति करते हैं। इनके कारण सड़क पर ट्रैफिक जाम होता है। इस सड़क पर दुकानों के सामने ही दो पहिया वाहनों की पार्किंग होती है। पास में बजाजखाना चौक की पार्किंग होने के बावजूद दुकानदार अपने वाहनों को निर्धारित पार्किंग में खड़े नहीं करते हैं।

इस बाजार में दुकानों के सामने 50 से ज्यादा दलाल सड़कों पर खड़े रहते हैं। इन्हें दुकानों से 10 प्रतिशत कमीशन मिलता है। ऐसे में ये ग्राहकों पर संबंधित दुकान से खरीदी का आग्रह करते हैं और कई बार अभद्रता से बात करते हैं। ऐसे में कई बार महिला ग्राहकों को परेशानी होती है। इस समस्या के निदान के लिए पूर्व में चार नंबर विधानसभा के विधायक ने भी बैठक की थी, लेकिन हल नहीं निकला।

शीतलामाता बाजार में ठेले वाले और दलालो का कब्जा होने से यातायात बाधित होता है। ● नईदुनिया

नगर निगम की दो रिमूवल टीमें सतत शीतला माता बाजार में सड़क पर लगने वालों ठेलों व छोटी ट्राली वालों को हटाने का काम करती है। कई बार सामान की जब्ती भी की गई है। निगम की टीम के हटने के बाद पुन: ठेलों वालों की मनमानी शुरू हो जाती है। पुराने एसपी आफिस के पास रिक्त जमीन पर इन ठेलों वालों के लिए जगह निर्धारित की गई है, लेकिन वे जाना नहीं चाहते।

– लता अग्रवाल, उपायुक्त, नगर निगम

अब भी कई विसंगतियां हैं। ठेले वालों के अलावा कई फुटकर विक्रेता सड़क पर बैठकर व्यापार करते हैं। इससे ट्रैफिक बाधित होता है। दुकानों के बाहर सड़क पर डमी स्टैंड व जालियां रखी जा रही हैं। दुकानदारों को एसोसिशन के माध्यम से कई बार समझाइश दी चुकी है, लेकिन कोई भी नियम का पालन नहीं करता है।

– रमेश त्रिवेदी, अध्यक्ष, शीतला माता बाजार व्यापारी संघ

इस बाजार में दलालों द्वारा ग्राहकों से अभद्रता किए जाने व ट्रैफिक समस्या के निराकरण के लिए पूर्व में दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन से बात कर क्षेत्र में पुलिस चौकी बनाने की बात कही थी। पुलिस अफसरों ने वादा तो किया, लेकिन आज तक अमल नहीं हुआ। सड़कों पर ठेले खड़े होने के कारण ट्रैफिक बाधित होता है।

– पप्पू सीकची, मंत्री, शीतला माता बाजार व्यापारी संघ

पालदा क्षेत्र के कारखाने छोड़ रहे गंदा पानी इकलौती ड्रेनेज लाइन भी हो जाती है चोक

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। पालदा औद्योगिक क्षेत्र के विकास के बाद भी नगर निगम अब तक उचित ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना सका है। यहां सिर्फ एक सड़क के किनारे कारखानों के लिए ड्रेनेज लाइन डाली गई है। वह भी अकसर चोक रहती है। यही वजह है कि यहां के कुछ उद्योग निकासी व्यवस्था न होने से गंदा पानी खाली मैदान में छोड़ देते हैं। यहां के उद्योगों का गंदा पानी मौजूदा एक ड्रेनेज लाइन से निगम के आजाद नगर व तीन इमली चौराहे पर बने ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचता है।

अभी पालदा क्षेत्र की कुछ तेल व कन्फेक्शनरी उद्योग पानी का उपचार किए बिना ही ड्रेनेज लाइन में छोड़ देते हैं। इस पानी में आक्सीजन की मात्रा कम होती है। यही वजह है कि नगर निगम ने यहां के उद्योगों को चेतावनी दी है कि वे पानी का उपचार कर ही ड्रेनेज लाइन में छोड़ें। ऐसा न करने पर इस क्षेत्र के कारखानों की जांच कर उन्हें सील किया जाएगा।

नगर निगम इंदौर। ● फाइल फोटो

- नियमों का उल्लंघन करने पर सील करेगा नगर निगम
- निकासी व्यवस्था न होने से गंदा पानी खाली मैदान में छोड़ देते हैं

निगम की टीम औद्योगिक क्षेत्र में कर रही है जांच

पालदा क्षेत्र के उद्योगों द्वारा गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में हमने एआरओ, भवन निरीक्षक व ड्रेनेज विभाग के कर्मचारी का एक संयुक्त दल बनाया है। यह दल उस क्षेत्र में एक-एक मेनहोल खोलकर चेक कर रहा है कि किस इंडस्ट्री द्वारा गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। हमने मप्र पाल्युशन कंट्रोल बोर्ड के अफसरों को भी पत्र लिखा है कि वो इस क्षेत्र के उद्योगों में लगे ट्रीटमेंट प्लांट की जांच करे कि वे चालू हैं या बंद।

– सिद्धार्थ जैन, अपर आयुक्त नगर निगम

चैंबरों से बहता है गंदा पानी

पालदा औद्योगिक संघ के सचिव हरीश नागर के मुताबिक नगर निगम ने इस औद्योगिक क्षेत्र में उचित ड्रेनेज लाइन नहीं डाली है। क्षेत्र के कई उद्योगों के परिसर में ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं। वे पानी को उपचारित कर ड्रेनेज लाइन में छोड़ते हैं। कुछ उद्योग ही ट्रीटमेंट प्लांट के अभाव में गंदा पानी छोड़ रहे होंगे। हमने जनसहयोगसे जो स्टार्म वाटर लाइन डाली थी, निगम ने उसे भी तोड़ दिया। यदि निगम इस क्षेत्र में उचित ड्रेनेज लाइन सिस्टम बना दे तो समस्या खत्म हो जाएगी। पालदा औद्योगिक संघ के अध्यक्ष प्रमोद जैन के मुताबिक ड्रेनेज लाइन का नेटवर्क नहीं होने के कारण चैंबरों से गंदा पानी ओवर फ्लो होता रहता है। लंबे समय से क्षेत्र में ड्रेनेज लाइन डालने की मांग कर रहे हैं।

2.53 लाख रुपये में बिका नंबर 0001

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। आरटीओ में वीआइपी नंबरों की नीलामी गुरुवार को खत्म हुई, इसमें 0001 नंबर 2.53 लाख रुपये में बिका। अंतिम समय में वेबसाइट पर बोली आगे नहीं बढ़ सकी। इस नंबर को आशा कंफेक्शनरी के नाम पर खरीदा गया है। नीलामी में नई सीरीज एमपी 09 जेडएम के नंबरों को खोला गया था। इसके अलावा 0009 नंबर भी 1.58 लाख रुपये में बिक गया।

परिवहन विभाग ने वाहन पोर्टल पर नंबरों की नई सीरीज एमपी 09 जेडएम के नंबरों को डाला था। रविवार मध्य रात्रि से गुरुवार दोपहर एक बजे तक रजिस्ट्रेशन हुए। इस बार भी 0001 नंबर पर सभी की नजर थी। बेस प्राइज एक लाख रुपये जमा करने के बाद दो लोग बोली लगा रहे थे, लेकिन अंतिम समय में बोली वेबसाइट पर आगे नहीं बढ़ सकी, जबकि दूसरा उम्मीदवार ज्यादा बोली लगाने को तैयार था। अंतिम समय में बोली रुकने से यह नंबर आशा कंफेक्शनरी के नाम हो गया।

0009 भी लाखों में गया

वीआइपी नंबरों की बोली में एमपी 09 जेडएम 0009 नंबर 1.58 लाख रुपये में बिक गया। यह नंबर अल्तमश पटेल ने खरीदा है। इसके लिए तीन लोग बोली लगा रहे थे, जबकि एमपी 09 जेडएम 9999 नंबर इस बार एक लाख 15 हजार रुपये में उमा कुमावत के नाम पर बिका। पहली बार इन नंबरों को इतनी बोली लगाकर खरीदा गया है। इसके लिए अंतिम समय में दो लोग बोली लगा रहे थे।

लाड़ली बहना योजना के लिए महिलाओं की ई केवायसी कराएगी निगम की टीम

इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत 23 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को एक हजार रुपये प्रतिमाह देने की योजना शुरू की गई है। इसे देखते हुए निगम द्वारा शुक्रवार से सभी जोनल कार्यालयों पर पात्र महिलाओं की ई-केवायसी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उनकी समग्र आइडी को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक इंदौर में 10 लाख से ज्यादा महिलाओं के ई-केवायसी किए जाने की योजना है। ऐसे में जोनल कार्यालयों के अलावा निगम वार्ड स्तर पर भी इसके लिए शिविर आयोजित करेगा। 25 मार्च से निगम के जोनल कार्यालयों पर योजना के आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आवेदकों के लिए इस योजना का लाभ लेने से पहले ई-केवायसी करवाना अनिवार्य है।

सिटी स्पोर्ट्स

उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर सम्मानित

वैष्णवी शर्मा को पुरस्कृत करतीं सिद्धियानी पाटनी। ● सौ. आयोजक

इंदौर। हैप्पी वांडरर्स द्वारा संस्थापक अध्यक्ष मधुकर सोमण की स्मृति में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर का अवार्ड ग्वालियर की वैष्णवी शर्मा को दिया गया। उन्हें स्मृति चिह्न और 21 हजार रुपये प्रदान किए गए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मप्र क्रिकेट संगठन की सहसचिव सिद्धियानी पाटनी थीं। इस दौरान सुधाकर ऊर्ध्वरेषे सहित संस्था के पदाधिकारी व खिलाड़ी मौजूद थे।

मध्यप्रदेश हाकी टीम के चयन ट्रायल 10 मार्च से

इंदौर। पश्चिम क्षेत्र जूनियर पुरुष हाकी स्पर्धा 19 से 28 मार्च तक राजनांदगांव में होगी। स्पर्धा में हिस्सा लेने वाली मध्य प्रदेश टीम के चयन ट्रायल्स 10 से 12 मार्च तक बैतूल में होंगे। चयन ट्रायल्स में प्रदेश सहित इंदौर के खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। शहर से छह खिलाड़ियों का चयन ट्रायल्स के लिए किया गया है। उक्त चयन ट्रायल्स में एक जनवरी 2005 या उसके बाद जन्मे खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे।

मप्र वन विभाग टीम में इंदौर के राजेश शामिल

इंदौर। वन विभाग की 26वीं अखिल भारतीय खेल स्पर्धा 10 से 14 मार्च तक पंचकुला (हरियाणा) में आयोजित होगी। स्पर्धा के लिए मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम में इंदौर के राजेश वलेचा का चयन किया गया है। राजेश बीसीसीआइ के स्टेट पैनल अंपायर भी हैं। हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित इस स्पर्धा में देशभर के 2500 से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी शामिल होंगे। स्पर्धा में मध्य प्रदेश से करीब 200 सदस्यीय दल हिस्सा ले रहा है।

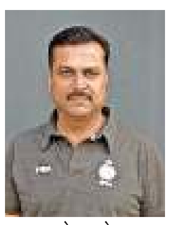

राजेश वलेचा

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना (म.प्र.)

क्रं. 1393/2023 गुना, दिनांक 09.03.2023

प्रेस-नोट

शासकीय नवीन आदर्श महाविद्यालय, गुना में स्वीकृत बजट अनुसार फर्नीचर सामग्री क्रय की जानी है। जिसकी खुली निविदा जेम पोर्टल पर क्रमांक GEM/2023/B/3242362 दिनांक 09.03.2023 जिसकी निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 30.03.2023 को दोपहर 12 बजे तक है। इच्छुक प्रदायकर्ता फर्म अपनी निविदाऐं जैम पोर्टल पर जमा कर भाग ले सकते है।

निविदा के संबंध में अंतिम निर्णय प्राचार्य का होगा।

प्राचार्य
शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुना

कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

।। विज्ञप्ति ।।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय परिसर, उज्जैन में जन सामान्य की सुविधा हेतु दुध एवं दुग्ध उत्पादों से संबंधित सामग्री के विक्रय हेतु एक स्मार्ट मिल्क पार्लर स्थापित किया जाना है। जिसके लिए राज्य स्तरीय दुग्ध संस्थाओं के सीलबंद लिफाफे में आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

उक्त स्मार्ट पार्लर हेतु केवल वही संस्थायें आवेदन करें जो राज्य स्तरीय दुग्ध कॉ–आपरेटिव सोसायटी में पंजीकृत होकर सहकारी संस्था हो।

स्मार्ट मिल्क पार्लर स्थापित किये जाने हेतु संस्थाओं द्वारा आवेदन दिनांक 23.03.2023 तक कार्यालयीन समय मे जमा किये जा सकते है। संस्था का चयन होने के उपरांत संस्था द्वारा ही पात्र व्यक्ति का चयन विधिवत प्रक्रिया अनुसार किया जावेगा । विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

वास्ते – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म. प्र.)

जी–24179/22

कार्यालय कलेक्टर जिला – इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/855/गौतमपुरा/2023 इन्दौर दिनांक 7/3/2023

सार्वजनिक सूचना

म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 नियम 23 (2) के अंतर्गत

नगर परिषद गौतमपुरा जिला इन्दौर द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के प्रावधानों अंतर्गत दिनांक 31.12.2016 के पूर्व में अस्तित्व में आयी अनाधिकृत (अवैध) कॉलोनियों में नागरिक अधोसंरचना प्रदान किये जाने हेतु योजना तैयार किया जाना है। नियमों के प्रावधान अंतर्गत निम्न अनाधिकृत (अवैध) कॉलोनियों में योजना तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है :–

क्र.	वार्ड क्र.	अनाधिकृत कालोनी का प्रचलित नाम	कॉलोनी की भूमि / खसरा क्रमांक का विवरण	कॉलोनिनाईजर का नाम	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	15	पाटीदार कॉलोनी	658, 652/3, 653/5, 654/2, 656/2/1	इंदरसिंह पिता रामसिंह नागर एवं स्व. सिध्दनाथ पिता भागीरथ बडिंग निवासी रूणजी गौतमपुरा	0.506, 0.099, 0.055, 0.293, 0.030
2	02	सुदामा नगर	685/1/2, 686/1, 688/2	प्रहलाद पिता जीवराज पाटीदार निवासी रुणजी गौतमपुरा	0.068, 0.405, 0.215
3	02	परिश्रम कॉलोनी	295/3, 295/4, 296/2, 297/3, 297/4	इंदरसिंह पिता रामसिंह नागर एवं कैलाश पिता मंछाराम केलवा निवासी रूणजी गौतमपुरा	0.598, 0.596, 0.257

अनाधिकृत (अवैध) कालोनियों के समस्त हितधारक एवं भवन स्वामी / भूखण्ड धारकों को सूचित किया जाता है कि कालोनी में नागरिक अधोसंरचना प्रदाय किये जाने की कार्यवाही में उक्त कॉलोनियों को सम्मिलित करने के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो आप अपने दावे–आपत्ति **नगर परिषद् गौतमपुरा, जिला– इन्दौर** कार्यालय में 15 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत कर सकते है।

कॉलोनी की विस्तृत जानकारी के लिए भी सक्षम प्राधिकारी / निकाय के कार्यालय में कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है। निर्धारित समयावधि में दावे–आपत्ति प्राप्त ना होने की स्थिति में यह माना जाएगा, कि उक्त अनाधिकृत (अवैध) कॉलोनियों मे नागरिक अधोसरंचना हेतु योजना तैयार किये जाने के संबंध में किसी को कोई आपत्ति नही है।

कलेक्टर, जिला – इन्दौर (म.प्र.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सरदारपुर, जिला-धार (म.प्र.)

क्रमांक 748/ रिडर /..... **।। विज्ञप्ति ।।** सरदारपुर दि.: 07.03.2023

एतद् द्वारा, सर्व साधारण को सूचित किया जाता हैं, कि आर.डी.एस.एस. योजनान्तर्गत 33/11 केव्ही विद्युत उपकेन्द्र हेतु मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के द्वारा ग्राम जौलाना तेहसील सरदारपुर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 1852 रकबा 3.689 हेक्टर में से 0.314 हेक्टर भूमि पर मध्यप्रदेश नजूल निर्वतन नियम 2020 के अंतर्गत भूमि आवंटन की मांग की गई है। जिसे MPPKVVCL मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग भोपाल को हस्तांतरण किया जाना हैं ।

उक्त प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई दावा/ आपत्ति हो तो वह अपनी दावा/आपत्ति न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग सरदारपुर जिला धार में विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अंदर स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है बाद म्याद प्राप्त किसी भी दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
तेहसील सरदारपुर जिला धार (म.प्र.)

कार्यालय नगरपालिका परिषद, नीमच, जिला नीमच म.प्र.

क्रमांक/166/ई-टेण्ड./ 01/बाग-बगीचा /2023 नीमच, दिनांक 09.03.2023

ऑनलाइन (Online) निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा लो.नि.वि. में केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों / फर्म से वर्तमान बाजार दर पर आधारित पर निम्नलिखित कार्य हेतु (ई–टेण्डरिंग) ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है–

क्र./टेंडर क्रमांक	कार्य का नाम	आमंत्रण का क्रम	अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य
2023_UAD_258714	बाग–बगीचा शाखा हेतु ट्रेक्टर क्रय	द्वितीय	800000/- GST	8000/-	2000/-

7. इच्छुक ठेकेदार विस्तृत निविदा **Website : http://mptenders.gov.in** पर देख सकते हैं।
8. ऑनलाइन निविदा के संबंध में निर्धारित दिनांक वेबसाइट में अंकित (Key Dates) अनुसार रहेगी।
9. उपरोक्त कार्यों हेतु टेण्डर क्रय एवं टेण्डर सबमिशन (अपलोड) की अंतिम दिनांक **24.03.2023 (17.30)** रहेगी।
10. यदि निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो वह वेबसाईट पर ही प्रदर्शित होगा, जिसका अलग से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं कराया जावेगा ।
11. अन्य आवश्यक जानकारी कार्यालयीन कार्यदिवस एवं समय में निकाय की लोक निर्माण शाखा से प्राप्त की जा सकती हैं।
12. Organization details में निविदाकार को ई–मेल आईडी दर्ज करना अनिवार्य है । निविदा संबंधी समस्त जानकारी / सूचना निविदाकार को ई–मेल के माध्यम से भेजी जायेगी ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नीमच

कार्यालय मुख्य अभियंता (इंदौर क्षेत्र) मप्रपक्षेविविकंलि, इंदौर

माह फरवरी 2023 की अवधि में म.प्र.प.क्षे.वि. वि. कं. लि., इंदौर क्षेत्र द्वारा प्रतिदिन विद्युत प्रदाय के औसत घंटे

मैं पुनीत दुबे, मुख्य अभियंता (इंदौर क्षेत्र) इंदौर मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के निर्देश दिनांक 21.03.2005 के पालन में निम्नलिखित जानकारी माह फरवरी 2023 के संबंध में सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित करता हूं।

क्र.	विवरण	प्रतिदिन विद्युत प्रदाय के औसत घंटे		
		जनवरी 2023	फरवरी 23	फरवरी 22
1	संभागीय मुख्यालय	23:56:39	23:54:39	23:58:33
2	जिला मुख्यालय	23:56:03	23:57:15	23:57:51
3	तहसील मुख्यालय	23:54:51	23:52:58	23:55:36
5	घरेलू उपभोक्ता	23:47:56	23:42:46	23:50:21
6	सिंचाई उपभोक्ता	09:51:41	09:51:03	09:58:10

नोटः 1.प्रतिदिन विद्युत प्रदाय का औसत संबंधित माह में कुल घंटों की सप्लाई की अवधि को माह के दिनों से विभाजित करने पर प्राप्त होगी।
2. विद्युत प्रणाली की क्षमता के अनुरूप दिन के समय में ग्रामीण क्षेत्र में विनियमित विद्युत प्रदाय किया गया।

नगर पालिक निगम, रतलाम (म.प्र.)

क्रमांक/204/8/ज.प्र./2023 रतलाम, दिनांक 07.03.2023

।। ई-निविदा आमंत्रण ।।

नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रण की जाती है जिसकी विस्तृत जानकारी ऑनलाईन वेबसाईड **https://mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है:-

क्र.	ऑनलाइन निविदा क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित मात्रा	निगम द्वारा निर्धारित मूल्य	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य	समय सीमा
01	258860	नवीन मोटर पम्प 8000 LPM, 60 Meter हेड 125KW / 170 HP शक्शन डिलेवरी 200X150 से कम न हो, ब्रोन्ज इम्पेलर, कपल बेस फ्रेम सहित प्रदाय, स्थापना एवं टेस्टिंग सहित सम्पूर्ण कार्य अनुमान पत्रक एवं शर्तों में दर्शाये अनुसार (प्रथम आमंत्रण)	01	1050000/-	21000/-	2000/-	7 दिवस

1- उपरोक्त निविदाओं के निविदा प्रपत्र ऑनलाईन भुगतान कर, क्रय किये जा सकते हैं। निविदा क्रय तथा प्रस्तुत करने की समय सारणी निम्नानुसार है:

Publish Date:	09.03.2023 15:30	Pri Bid Meeting Date:	
Document Download/Sale Start Date:	09.03.2023 16:00	Bid Submission End Date:	15.03.2023 17:30
Bid Submission Start Date:	09.03.2023 16:30	Bid Opening Date:	16.03.2023 15:30

कार्यपालन यंत्री (जल प्रदाय), नगर पालिक निगम, रतलाम

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, कालापीपल जिला–शाजापुर

क्रमांक /मंडी/निर्माण/निविदा/2022-23/1352 कालापीपल दिनांक 06.03.2023

।। निविदा आमंत्रण सूचना ।।

प्रमुख अभियन्ता, म.प्र. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त (एकीकृत पंजीयन प्रणाली) पंजीकृत निविदाकारों से प्रतिशत दर आधार पर सिस्टम निविदा क्रमांक 2023_MPSAM_257806_1, के अंतर्गत ऑनलाईन निविदाएँ दिनांक 31.03.2023 को शाम 5:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई–निविदा के पोर्टल https://mptenders.gov.in/nicgep/app पर प्राप्त होगी एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल www.mpmandiboard.gov.in पर भी अवलोकनीय होगी।

नोटः आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर प्रदर्शित की जावेगी ।

सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, कालापीपल जिला शाजापुर
भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मंडी समिति, कालापीपल जिला शाजापुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद अशोकनगर म.प्र.

Email :- cmoashoknagar@mpurban.gov.in Telephone 07543-222811

क्रमांक/तकनीकि/2023/ 884 अशोकनगर दिनांक :– 07.03/2023

विज्ञप्ति

केन्द्रीय ई–रजिस्ट्रेशन प्रणाली के अंतर्गत म. प्र. लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत समस्त ठेकेदारों से कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक/तकनीकि/2023/873 अशोकनगर दिनांक 06/03/2023 ऑनलाईन टेन्डर क्र. 2023_UAD_258382_1 नगर पालिका कार्यालय के पीछे दुकान निर्माण कार्य 97.03 लाख, 2023_UAD_258382_2 चिंताहरण मंदिर के पास दुकान निर्माण कार्य 50.12 लाख, 2023_UAD_258382_3 नेहरू पार्क के पीछे दुकान निर्माण कार्य 95.43 लाख, 2023_UAD_258382_4 वायपास रोड स्थित शासकीय माध्यमिक विधालय क्र 04 के पास दुकान निर्माण कार्य 85.28 लाख (Without GST) हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रण की गई है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन दिनांक 07/03/2023 को प्रात: 10:30 से दिनांक 22/03/2023 को शाम 5:30 बजे तक क्रय किये जा सकते है। निविदा दिनांक 22/03/2023 को शाम 5:30 बजे तक जमा कर सकते हैं। निविदा दिनांक 24/03/2023 को सुबह 11:00 बजे के पश्चात खोली जाएगी।

नीरज मानोरिया, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद अशोकनगर
प्रियंका सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद अशोकनगर

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र – इंदौर

शुद्धिपत्र क्रमांक 01/13/2022, दिनांक 03.03.2023

राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2022
नवीन पदों का संयोजन की सूचना

01 आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के सहायक यंत्रियों के पदों की पूर्ति हेतु 'राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2022 ' का विज्ञापन क्रमांक 13/2022, दिनांक 30.12.2022 आयोग की वेबसाइट https://mppsc.mp.gov.in पर जारी किया गया है ।

02 उक्त विज्ञापन में उल्लिखित रिक्ति विवरण में निम्नानुसार पदों को संयोजित किया जाता है :–

क्रं.	विभाग का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी निःशक्त अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या				वेतनमान
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	LD	VH	HH	MD	
		सहायक यंत्री सिविल															
1	जनजातीय कार्य विभाग	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9300-34800 4200

(1) (अ) पद का नाम : सहायक यंत्री (सिविल) Assistant Engineer (Civil)
(ब) पद स्थिति : स्थायी
(स) विभाग का नाम : जनजातीय कार्य विभाग
(द) अर्हता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि सा समकक्ष अर्हता ।
(इ) कर्तव्य : आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में पदीय दायित्वों के निर्वाहन एवं विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों का संचालन एवं क्रियान्वयन ।
(फ) श्रेणी तथा वेतनमान : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
9300–34800 + 4200 ग्रेड पे
छठे वेतन आयोग अनुसार। सातवें वेतन आयोग के तत्स्थानी वेतनमान देय होंगे।

उक्त संयोजन के फलस्वरूप राज्य अभियांत्रिकीय सेवा परीक्षा 2022 हेतु पूर्व में विज्ञापित 36 पदों में उपरोक्त 02 पदों के सम्मिलित होने के पश्चात कुल पदों की संख्या 38 हो गई है।

03 विज्ञापन की शेष शर्ते पूर्ववत रहेंगी।

जी–24207/22 "यातायात नियमों का रखों ध्यान, दुर्घटनाओं पर लगाओं पूर्ण विराम" उप सचिव